



पंजीकृत कार्यालय, मणिपाल / Registered Office, Manipal

## पोस्टल बैलट फॉर्म / POSTAL BALLOT FORM

(इस प्रपत्र को भरने से पहले पीछे मुद्रित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें)

(Please read the instructions printed overleaf carefully before completing this form)

संदर्भ / Ref.:

1. एकमात्र/पहले शेयरधारक का नाम  
Name of the Sole/First Shareholder:
2. एकमात्र/पहले शेयरधारक का पंजीकृत पता  
Registered address of the Sole/First Shareholder
3. पंजीकृत फोलियो संख्या/डीपी-ग्राहक आईडी  
Registered Folio Number/DP-Client ID:
4. धारित शेयरों की संख्या/Number of Shares held:
5. मैं/हम, डाक मतपत्र के द्वारा पारित किए जाने वाले विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपना मत देते हैं जो कि बैंक के दिनांक 07.11.2018 के डाक मतपत्र नोटिस में उल्लिखित व्यवसायों के लिए है तथा इस संबंध में मैं/हम कथित प्रस्तावों के बारे में अपनी सहमति या असहमति नीचे दिए गए उचित कॉलम में (✓) चिन्ह लगाकर करते हैं: /I/We hereby exercise my/our vote in respect of the Special Resolutions to be passed through Postal Ballot for the businesses stated in the Notice of Postal Ballot dated 07.11.2018 of the Bank by conveying my/our assent or dissent to the said Resolutions by placing the tick (✓) mark at the appropriate column below:

पद सं. Item No.	विवरण/Description	दिए जानेवाले मतों के लिए शेयरों की संख्या No. of Shares for which votes cast	प्रस्ताव के लिए मेरी/हमारी सहमति (पक्ष में) I/We assent to the Resolution (FOR)	प्रस्ताव के लिए मेरी/हमारी असहमति (विपक्ष में) I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1.	₹10 के अंकित मूल्य के पर्याप्त संख्या में ईक्विटी शेयर सृजित करने, जारी करने और आबंटित करने के लिए जो कि कुल ₹728 करोड़ मूल्य के भारत सरकार के लिए प्राथमिकता आधार पर नकदी के लिए प्रीमियम सहित जिनका निर्गम मूल्य सेबी 2018 विनियमन के अंतर्गत नियमन 168 के अनुसार विशेष प्रस्ताव के अंतर्गत किया जाना है। To create, offer, issue and allot requisite number of Equity Shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each to the Government of India ("GOI") aggregating to ₹728 Crore (Rupees Seven Hundred Twenty Eight Crore only) on preferential basis inclusive of premium for cash at an Issue Price to be determined in accordance with Regulation 164 of the SEBI (ICDR) Regulations 2018 as a Special Resolution.			
2.	बोर्ड/समिति के विवेक पर आधारित लिए गए निर्णय के अनुसार एक बार में अथवा अलग-अलग हिस्सों में जो भी कीमत तय की जाए उसके अनुसार पात्र कर्मचारियों को स्टॉक क्रय योजना के अंतर्गत ₹10 के अंकित मूल्य पर 30 करोड़ शेयर आबंटित करने और इसके लिए आवश्यक पूंजी और प्रीमियम को बढ़ाने के लिए ₹500 करोड़ तक की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। इसके लिए 29.10.2018 को मणिपाल में संपन्न असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करते हुए विशेष प्रस्ताव के अंतर्गत 9 करोड़ ईक्विटी शेयर जारी एवं आबंटित करते हुए कुल ₹250 करोड़ की पूंजी सीमा बढ़ाए जाने का निर्णय हुआ है। To increase the limit upto ₹500 Crore (Rupees Five Hundred Crore only) including premium to raise capital by creating, granting offer, issuing and allotting up to 30,00,00,000 (Thirty Crore) new Equity Shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each to eligible employees under Employee Stock Purchase Scheme ("ESPS") in one or more tranches, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee in its absolute discretion. This includes the earlier approval of the Shareholders in the Extraordinary General Meeting ("EGM") on Monday, 29 <sup>th</sup> October, 2018 at Manipal to raise capital aggregating to ₹250 Crore (Rupees Two Hundred Fifty Crore only) by issuance and allotment of up to 9,00,00,000 (Nine Crore) Equity Shares under ESPS as a Special Resolution.			

स्थान/Place:

दिनांक/Date:

शेयरधारक के हस्ताक्षर/Signature of Shareholder

इलेक्ट्रॉनिक मतदान के लिए नोटिस में संलग्न निर्देशों का संदर्भ लें।/For Electronic Voting please refer the instructions in the Notice attached herewith.

संवीक्षक द्वारा डाक मतपत्र प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि : मंगलवार, 18 दिसंबर, 2018 सायं 5.00 बजे/Last date for Receipt of Postal Ballot Form by the Scrutinizer: Tuesday, December 18, 2018, 5.00 p.m.

### इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग विवरण ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

इवन (ई-वोटिंग इवेंट नंबर) EVEN (E-Voting Event Number)	यूजर आई डी USER ID	पासवर्ड/पिन PASSWORD/PIN

## निर्देश

1. यदि कोई शेयरधारक अपना मतदान डाक मतपत्र द्वारा करना चाहता है तो वह डाक मतदान प्रपत्र भरकर संवीक्षक के पास संलग्न स्व-पता लिखित पूर्व प्रदत्त डाकव्यय वाले लिफाफे में भेजे। यदि डाक मतपत्र वाले लिफाफे को प्राप्तकर्ता के पास व्यक्तिगत रूप से लाया जाता है या कूरियर द्वारा भेजा जाता है तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा।
2. यह प्रपत्र सही ढंग से भरा एवं शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए (बैंक/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार)। यदि संयुक्त धारक हैं तो यह प्रपत्र प्रथम नाम वाले सदस्य द्वारा भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा उसकी अनुपस्थिति में दूसरे नाम वाले सदस्य द्वारा।
3. यदि शेयरधारक कंपनी, ट्रस्ट, सोसायटी आदि हैं तो सही प्रकार से भरे हुए डाक मतदान प्रपत्र के साथ बोर्ड प्रस्ताव/प्राधिकृत किए जाने की प्रति संलग्न होनी चाहिए। यदि प्रपत्र भारत सरकार के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होना है तो डाक मतदान प्रपत्र के साथ नामांकन की प्रमाणित प्रति संलग्न होनी चाहिए।
4. यदि अपनी सहमति दर्ज करनी है तो निर्धारित 'पक्ष' कॉलम में तथा असहमति दर्ज करनी हो तो 'विपक्ष' कॉलम में ही (✓) चिन्ह लगाया जाना चाहिए।
5. अहस्ताक्षरित, अपूर्ण या दोषपूर्ण डाक मतदान प्रपत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
6. यह आवश्यक नहीं कि कोई शेयरधारक अपने सभी मतों का प्रयोग करे अथवा सभी मत एक ही तरीके से करे।
7. पूर्ण रूप से भरे हुए डाक मतदान प्रपत्र संवीक्षक के पास अंतिम तिथि यानी मंगलवार दिनांक 18.12.2018 को कार्यालय समय अर्थात् सायं 5.00 बजे तक पहुँच जाने चाहिए। इस अंतिम तिथि के बाद प्राप्त ऐसे सदस्यों के डाक मतदान प्रपत्रों के बारे में ऐसा मान लिया जाएगा कि वे प्राप्त नहीं हुए हैं।
8. यदि आवश्यकता हुई तो कोई शेयरधारक डाक मतदान प्रपत्र की दूसरी प्रति के लिए अनुरोध कर सकता है। फिर भी, विधिवत भरी हुई डाक मतदान प्रपत्र की दूसरी प्रति कॉलम सं. 7 में निर्धारित अंतिम तिथि तक संवीक्षक के पास पहुँच जानी चाहिए।
9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि स्व-पता लिखित पूर्व प्रदत्त डाकव्यय वाले लिफाफे में डाक मतदान प्रपत्र के साथ अन्य किसी प्रकार के कागजात न संलग्न करें।
10. निर्दिष्ट तारीख यानी सोमवार, दिनांक 12 नवंबर, 2018 की स्थिति में शेयरधारकों के नाम पर प्रदत्त पंजीकृत शेयरों के अनुसार ही मतदान अधिकार तय किया जाएगा।
11. डाक मतदान प्रपत्र की वैधता के बारे में संवीक्षक का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
12. डाक मतपत्र द्वारा किए गए मतदान के परिणाम मंगलवार, 25 दिसंबर, 2018 तक घोषित कर दिया जाएगा तथा इसे बैंक के पंजीकृत कार्यालय तथा कॉर्पोरेट कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंज, बैंक के वेबसाइट पर एवं कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड ('कार्बी') को दी जाएगी।
13. सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियम 44 तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा इसमें लिखित नियमों के अनुपालन में ई-मतदान के तहत बैंक (कार्बी के ई-मतदान प्लेटफॉर्म के माध्यम से) विकल्प के रूप में शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की ई-मतदान सुविधा सहर्ष प्रदान करता है जिससे उन्हें भौतिक रूप से मतदान प्रपत्र भेजना न पड़े। यह नोट करें कि यदि शेयरधारक ई-मतदान सुविधा के माध्यम से मतदान का चयन करता है तो उसे भौतिक रूप से मतदान प्रपत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई शेयरधारक दोनों माध्यमों से मतदान करते हैं यानी ई-मतदान और भौतिक मतदान प्रपत्र से ई-मतदान को वैध माना जाएगा और शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत भौतिक मतदान प्रपत्र को अवैध माना जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि ई-मतदान के संबंध में दिए गए विस्तृत निर्देशों के लिए नोटिस और उसमें दी गई टिप्पणियों का संदर्भ लें।

## INSTRUCTIONS

1. A Shareholder desiring to exercise vote by Postal Ballot may complete this Postal Ballot Form and send it to the Scrutinizer in the enclosed self-addressed postage pre-paid envelope. Envelopes containing Postal Ballots, if deposited in person or sent by courier at the expense of the Member will also be accepted.
2. This Form should be completed and signed by the Shareholder (as per the specimen signature registered with the Bank/Depository Participants). In case of joint holding, this Form should be completed and signed by the first named Member and in his absence, by the next named Member.
3. In case of shares held by companies, trusts, societies etc., the duly completed Postal Ballot Form should be accompanied by a certified true copy of Board Resolution/Authorisation. Where the form has been signed by a representative of the President of India or of the Governor of a State, a certified copy of the nomination should be attached with the Postal Ballot Form.
4. The consent must be accorded by recording the assent in the Column 'FOR' and dissent in the column 'AGAINST' by placing a tick mark (✓) in the appropriate column.
5. Unsigned, incomplete or defective Postal Ballot Forms are liable to be rejected.
6. A Shareholder need not use all the votes nor needs to cast all the votes in the same way.
7. Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the close of working hours i.e. 5.00 p.m., on Tuesday, December 18, 2018. All Postal Ballot Forms received after this date will be treated as if reply from such Member has not been received.
8. A Shareholder may request for a duplicate Postal Ballot Form, if so required. However, the duly filled in duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the date specified at item No. 7 above.
9. Shareholders are requested not to send any other paper along with the Postal Ballot Form in the enclosed postage pre-paid self-addressed envelope.
10. Voting rights shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the Shareholders on the cut off date i.e. Monday, November 12, 2018.
11. The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot Form will be final.
12. The result of the voting by Postal Ballot will be announced on or before Tuesday, 25<sup>th</sup> December, 2018 and displayed on the Notice Board of the Bank at its Registered Office and the Corporate Office, intimated to the stock exchanges, hosted on the website of the Bank and Karvy Computershare Private Limited ("Karvy").
13. E-VOTING: in compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereto, the Bank is pleased to provide E-voting facility (through E-voting platform of Karvy) as an alternate which would enable the Shareholders to cast votes electronically, instead of sending Physical Ballot Form. Please note that E-voting is optional. In case a Shareholder has voted through E-voting facility, he/she is not required to send the Physical Ballot Form. In case Shareholder(s) cast their votes via both modes i.e., Physical Ballot as well as E-voting, then voting done through E-voting shall prevail and Physical Voting of that Shareholder shall be treated as invalid. Shareholders are requested to refer to the Notice and notes there to, for detailed instructions with respect to E-voting.